मा0 उप मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की साधारण सभा की 10वीं बैठक दिनांक–21.03.2023 का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः– बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का विवरण **संलग्नक–1** पर प्रस्तुत है। कार्यकारिणी

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा मा0 उप मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश, मा0 राज्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन तथा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों/अधिकारियों का स्वागत किया गया। विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

एजेण्डा बिन्दु सं0–1

साधारण सभा की 9वीं बैठक दिनांक–11.02.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की साधारण सभा की 09वीं बैठक दिनांक–11.02.2021 को आयोजित की गयी थी, जिसका कार्यवृत्त ग्राम्य विकास अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–पी–142/अड़तीस–9–21–33(पीएमजीएसवाई) /2013 दिनांक–07.04.2021 के माध्यम से सर्वसम्बन्धित को प्रेषित किया गया था, जिस पर किसी सदस्य की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है। अतः कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–2

साधारण सभा की 9वीं बैठक दिनांक–11.02.2021 के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या

बिन्दु सं0–1

उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की साधारण सभा की 09वीं बैठक दिनांक–11.02.2021 में 7वीं बैठक दिनांक–14.08.2019 एवं 8वीं बैठक दिनांक–28.02.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं, पर सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु सं0–2

(1) सभापति द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यो में लापरवाही बरतने/अनियमितता किये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में दोनों विभागों लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को अभियन्ताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। विभाग द्वारा किये गये स्थानान्तरण दण्डात्मक श्रेणी में नहीं

आता है। यह एक औपचारिकता मात्र है। दण्डात्मक कार्यवाही की समय–सीमा निर्धारित होनी चाहिये।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग)

पैकेज सं0 यूपी–33146 के ठेकेदार को जीएसटी व्ययभार के भुगतान के सम्बन्ध में लापरवाही बरते जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में वाद योजित किया गया था जिसके क्रम में जीएसटी का भुगतान कराने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका अनुपालन अभिकरण कार्यालय के पत्र सं0 2300 दिनांक–31.12.2020 द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है। साधारण सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(2) मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–22.12.2021 को बैठक आयोजित की जा चुकी है, जिसमें बैठक के उपरान्त स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स को स्थल की व्यवहारिक दिक्कतें एवं कमियों को सुधारने तथा द्वितीय टीयर गुणवत्ता सुधार हेतु प्रशिक्षण दिया गया। साधारण सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(3) ब्लैक लिस्ट एवं डिबार किये हुये ठेकेदारों के सम्बन्ध में सभापति द्वारा निर्देश दिये गये कि लोक निर्माण विभाग मुख्यालय एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग निदेशालय द्वारा इस प्रकार का ऐसा सिस्टम विकसित किया जाये कि ब्लैक लिस्ट एवं डिबार किये गये ठेकेदार वापस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कार्य न कर सके। लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग मुख्यालय स्तर पर कठोर कार्यवाही किया जाना चाहिए। ब्लैक लिस्ट एवं डिबार किये हुये ठेकेदारों द्वारा वापस कार्य किये जाने पर मार्ग की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है तथा गुणवत्ता प्रभावित होने पर जनता की नजरों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की छवि खराब एवं धूमिल होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारम्भ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गयी सड़कों की छवि बहुत ही अच्छी थी। अतः हमें ऐसी ही छवि बनाये रखना है।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग)

<u>बिन्दु संख्या–3</u>

जनपद–हरदोई एवं प्रतापगढ़ के कार्यदायी विभागों के तत्समय तैनात रहे अधिशासी अभियन्ताओं को शासन द्वारा स्थानान्तरित करते हुये आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर दी गयी है। कालान्तर में जनपद–सोनभद्र एवं चन्दौली के कार्यदायी विभागों के तत्समय तैनात रहे अधिशासी अभियन्ताओं को शासन द्वारा स्थानान्तरित करते हुये आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर दी गयी है। विभाग द्वारा किये गये स्थानान्तरण दण्डात्मक श्रेणी में नहीं आता है। यह एक औपचारिकता मात्र है। दण्डात्मक कार्यवाही की समय–सीमा निर्धारित होनी चाहिये।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग)

बिन्दु संख्या–4

वर्ष 2020–21 का वार्षिक बजट एवं कार्य योजना का 9वीं साधारण सभा की बैठक दिनांक–11.02.2021 में अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। साधारण सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–5

वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रोग्राम फण्ड, प्रशासनिक फण्ड एवं अनुरक्षण की बैलेन्सशीट का अनुमोदन साधारण सभा की 9वीं बैठक दिनांक–11.02.2021 में किया जा चुका है। कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। साधारण सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–6

वित्तीय वर्ष 2018–19 के आडिट आब्जर्वेशन के अनुपालन का अनुमोदन साधारण सभा की 9वीं बैठक–11.02.2021 में प्रदान किया जा चुका है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। साधारण सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–7

(1) जनपद–प्रतापगढ़ के अन्तर्गत तत्समय कार्यदायी विभाग पी0आई0यू0–लोक निर्माण विभाग के तत्समय तैनात रहे अधिशासी अभियन्ताओं को शासन द्वारा स्थानान्तरित करते हुये आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर दी गयी है। जनपद–प्रतापगढ़ के पी0आई0यू0 के कार्यदायी विभाग को भी लोक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में किया जा चुका है। साधारण सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(2) प्रथम चरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2020–21 में रिन्यूवल कार्यो पर 726 मार्गो, लम्बाई 1978.268 किमी0, लागत रू0 19235.19 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

द्वितीय चरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2020–21 में रिन्यूवल कार्यो पर 476 मार्गो, लम्बाई 1494.72 किमी0, लागत रू0 15318.03 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिन्हें पूर्ण किया जा चुका है।

तृतीय चरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2021–22 में रिन्यूवल कार्यो पर 303 मार्ग, लम्बाई 963.607 किमी0, लागत रू0 11192.91 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

साधारण सभा द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(3) साधारण सभा की 9वीं बैठक दिनांक–11.02.2021 में 299 मार्गो को नई तकनीकी से निर्माण कराने हेतु सभा द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। एस0एल0एस0सी0 के माध्यम से एन0आर0आई0डी0ए0, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।।। के तहत् नई तकनीकी एफ0डी0आर0 के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में बैच–1 एवं बैच–2 के तहत् स्वीकृतियां ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी हैं। इस प्रकार नई तकनीकी Full Depth Reclamation with Cement Stabilization and Additive (FDR) के सापेक्ष कुल 690 मार्ग, लम्बाई 5413.26 किमी0 निर्माण किये जाने हेतु साधारण सभा द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4) जनपद–हरदोई, प्रतापगढ़, चन्दौली एवं सोनभद्र के अन्तर्गत तत्समय तैनात रहे अधिशासी अभियन्ताओं को शासन द्वारा स्थानान्तरित करते हुये आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर दी गयी है। जनपद–प्रतापगढ़ के पी0आई0यू0 के कार्यदायी विभाग को भी लोक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में किया जा चुका है। साधारण सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(5) मा0 राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पत्र सं0–153 दिनांक–16.06.2021 द्वारा तकनीकी समिति गठित करते हुये प्रकरण की जांच करायी गयी तथा अधिशासी अभियन्ता पी0आई0यू0 बलिया द्वारा जांच के निष्कर्षो से मा0 राज्य मंत्री जी को अवगत कराया गया। इसके पश्चात् मा0 राज्य मंत्री जी द्वारा उक्त मार्ग को पीरियाडिक रिन्यूवल में सम्मिलित करने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में पी0आई0यू0 द्वारा उक्त मार्ग को पीरियाडिक रिन्यूवल में स्वीकृत कराते हुये उस पर रिन्यूवल का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। वर्तमान में मार्ग पर आवागमन सुचारू पूर्वक संचालित हो रहा है। साधारण सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–03

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यो की अद्यतन स्थिति सभा के समक्ष संज्ञानार्थ

बिन्दु सं0–3.1, 3.2, 3.3

वित्तीय वर्ष 2020–21, वित्तीय वर्ष 2021–22 अन्तर्गत स्वीकृत कन्वेंशनल तकनीक एवं वित्तीय वर्ष 2020–21, वित्तीय वर्ष 2021–22 अन्तर्गत स्वीकृत एफ0डी0आर0 तकनीक से स्वीकृत कार्यों की प्रगति का संज्ञान लिया गया। साधारण सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु सं0–3.4

सभापति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन मार्गो की जांच नेशनल क्वालिटी मॉनिटर एवं स्टेट क्वालिटी मॉनिटर से किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा बनायी गयी रिपोर्ट से स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा–मा0 सांसद एवं मा0 विधायक को लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की सम्बन्धित पी0आई0यू0 द्वारा अवगत कराया जाय। इस प्रकार जनता एवं जनप्रतिनिधि को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यो के बारे में पता चलेगा, पारदर्शिता रहेगी तथा जनता की नजरों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की छवि अच्छी होगी। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से आने वाली शिकायतें कम होंगी।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग)

बिन्दु सं0–3.5

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत अनुरक्षणाधीन मार्गो के लम्बित बिलों का सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जनपदीय पीआईयू, लोक, निर्माण विभाग जनपद–बरेली, गाजीपुर, कानपुर देहात, मैनुपरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, सुल्तानपुर द्वारा समय से निस्तारण न किये जाने के कारण दण्डात्मक कार्यवाही एवं प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु अभिकरण के पत्र सं0–7432/टी–194(1)/यूपीआरआरडीए/2023 दिनांक 17.03.2023 द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र सन्दर्भित किया गया है। अभिकरण के पत्र सं0–7433/टी–194(1)/ यूपीआरआरडीए/2023 दिनांक 17.03.2023 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत अनुरक्षणाधीन मार्गो के लम्बित बिलों का सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जनपदीय पीआईयू,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोण्डा, जौनपुर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र एवं उन्नाव समय से निस्तारण न किये जाने के कारण दण्डात्मक कार्यवाही एवं प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र सन्दर्भित किया गया है।

लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा उक्त जनपदों – बरेली, गाजीपुर, कानपुर देहात, मैनुपरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, सुल्तानपुर (लोक निर्माण विभाग) एवं गोण्डा, जौनपुर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र एवं उन्नाव (ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग) के अधिशासी अभियन्ताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही एवं प्रतिकूल प्रविष्टि सुनिश्चित की जाये, जिनके कार्यकाल के दौरान उक्त जिलों के अनुरक्षण कार्यो में शिथिलिता बरती गयी।

सभापति द्वारा निर्देश दिये गये कि लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पी0आई0यू0 द्वारा नियमित रूप से अनुरक्षणाधीन मार्गो का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग)

बिन्दु सं0–3.6

पीरियाडिक रिन्यूवल के तहत् 1505 मार्ग, लम्बाई 4436.56 किमी0 एवं स्वीकृत धनराशि रू0 457.46 करोड़ के कार्य पूर्ण हैं तथा वर्तमान में यह समस्त मार्ग 05 वर्षीय अनुरक्षण अवधि में है। उपरोक्त मार्गो के अनुरक्षण की धनराशि रू0 4772.91 लाख का प्रस्ताव अभिकरण द्वारा शासन को धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। शासन स्तर से अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है। साधारण सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही–ग्राम्य विकास विभाग)

एजेण्डा बिन्दु संख्या–04

प्रोग्राम फण्ड, प्रशासनिक फण्ड एवं अनुरक्षण फण्ड की बैलेन्सशीट का अनुमोदन

उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण व पीआईयू (कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई) के लेखों के अंकेक्षण हेतु अनुबन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिये तैयार की गयी प्रोग्राम फण्ड, प्रशासनिक फण्ड तथा अनुरक्षण फण्ड की बैलेन्सशीट पर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साधारण सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 की प्रोग्राम फण्ड, प्रशासनिक फण्ड तथा अनुरक्षण फण्ड की बैलेंस शीट पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–05

आडिट आब्जर्वेशन के अनुपालन का अनुमोदन

साधारण सभा के समक्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के सम्बंध में उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स द्वारा सम्प्रेक्षित कार्यक्रम मद, प्रशासनिक व्यय मद एवं अनुरक्षण मद से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों की अनुपालन उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पत्र सं0–3156/एफ–226(वैल्यूम–8)/यूपीआरआरडीए/2020–21 दिनांक–19.03.2021 के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या साधारण सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी है। साधारण सभा द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–06

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का अनुमोदन

बिन्दु सं0–6.1

वित्तीय वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा सड़क निर्माण/उच्चीकरण हेतु कुल रू0 5000.00 करोड़ का बजट प्राविधान एवं पीएमजीएसवाई की 05 वर्षीय सड़कों के अनुरक्षण हेतु रू0 50.00 करोड़ तथा यूपीआरआरडीए के व्यय हेतु गैर वेतन मद में रू0 2.27 करोड़, वेतन मद में रू0 2.3532 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया। उपरोक्तानुसार बजट प्राविधान साधारण सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। साधारण सभा द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–6.2

वित्तीय वर्ष–2022–23 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा सड़क निर्माण/उच्चीकरण हेतु कुल रू0 7373.7080 करोड़ का बजट प्राविधान, पीएमजीएसवाई की 05 वर्षीय सड़कों के अनुरक्षण हेतु रू0 50.00 करोड़ तथा यूपीआरआरडीए के व्यय हेतु गैर वेतन मद में रू0 2.27 करोड़, वेतन मद में रू0 2.5650 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया, वर्ष 2022–23 में पीएमजीएसवाई की सड़कों के पीरियाडिक रिन्यूवल के अन्तर्गत 454 मार्गो के सापेक्ष रू0 134.50 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया। उपरोक्तानुसार बजट प्राविधान साधारण सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। साधारण सभा द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसके साथ ही साधारण सभा को अवगत कराया गया कि पीरियाडिक रिन्यूवल के अन्तर्गत मार्गो के 05 वर्षीय अनुरक्षण हेतु शासन को पुनर्विनियोग हेतु प्रस्ताव रू0 47.7291 करोड़ का भेजा गया है। तद्नुसार पुनर्विनियोग हेतु रू0 47.7291 करोड़ का प्रस्ताव साधारण सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। साधारण सभा उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण)

बिन्दु सं0–6.3

वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा सड़क निर्माण/उच्चीकरण हेतु केन्द्रांश रू0 3580.89 करोड़ एवं राज्यांश रू0 2387.26 करोड़ कुल रू0 5968.15 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया, पीएमजीएसवाई की 05 वर्षीय सड़कों के अनुरक्षण हेतु रू0 152.6786 करोड़ तथा यूपीआरआरडीए के व्यय हेतु गैर वेतन मद में रू0 2.27 करोड़, वेतन मद में रू0 2.7574 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया। उपरोक्तानुसार बजट प्राविधान साधारण सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। साधारण सभा द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण)

बिन्दु सं0–6.4

साधारण सभा को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।।। (वर्ष 2019–2024) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र सं0–पी–17024/26/2020–आरसी (एफएमएस नं0–370347) दिनांक–11.01.2021 के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।।। (बैच–1) 2020–21 के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये हैं:–

Item	Up-gradation roads	LSBs	Total
Value in Rs. Crores	4172.73	5.07	4177.80
No. of Road & Bridges	898	5	898 Roads & 05 LSBs
Length	6287.37 km	134.40 m	6287.37 km roads & 134.40 m LSB
Average cost	66.37 Lakh/km	3.77 Lakh/m	
MoRD Share : 2506.33 crore		State Share : 1671.47 crore	

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र सं0–पी–17024/26/2020–आरसी (एफएमएस नं0–370347) दिनांक 09.11.2021 के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।।। (बैच–1) 2021–22 के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये हैं:–

Item	No of Proposals	Length	Cost in Crores	Avg. Cost (Lakh/km)
Upgradation	1078	8249.41	5918.44	71.74
LSB	-	-	-	-
Total	1078 Roads and Nil LSBs	8249.41 km roads + 0.00 m LSBs	5918.44	71.74
*MoRD Share : Rs. 3547.52 crore State Share : Rs. 2370.92 crore including higher specification cost.				

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–पी–17024/26/2020–आरसी (एफएमएस नं0–370347) दिनांक 07.01.2022 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।।। (बैच–2) 2021–22 के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये हैं:–

Item	No of Proposals	Length	Cost in Crores	Avg. Cost (Lakh/km)

Upgradation	558	4233.369	4149.62	98.02
Total	558 roads + Nil LSBs	4233.369+ km roads + 0.00 m LSBs	4149.62	
*MoRD Share – Rs. 2486.18 crore		State Share – Rs. 1633.44 crore		

साधारण सभा के समक्ष उपरोक्तानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।।। (वर्ष 2019–2024) की कार्य योजना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी।

साधारण सभा द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–6.5

दिनांक–01.04.2022 को आर0सी0पी0एल0डब्ल्यू0ई0ए0 अन्तर्गत स्वीकृत कुल 09 सेतु, 10 मार्ग, लम्बाई 205.30 किमी0 के कार्य तथा पीएमजीएसवाई–3 (बैच–1) वित्तीय वर्ष 2020–21 अन्तर्गत स्वीकृत 03 सेतु, 678 मार्ग, लम्बाई 2934.62 किमी0 के कार्य अवशेष थे। पीएमजीएसवाई–3 (बैच–1 व 2) वित्तीय वर्ष 2021–22 अन्तर्गत 1624 मार्ग, लम्बाई 12374.67 किमी0 के कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई। अर्थात कुल 12 सेतु, 2312 मार्ग, लम्बाई 15514.68 किमी0 के कार्य अवशेष हैं। साधारण सभा द्वारा कार्यो को समय से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग)

बिन्दु सं0–6.6

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।।। के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृतियों के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यो में यूटिलिटी सिफ्टिंग (यथा–इलेक्ट्रिक लाईन्स एवं इलेक्ट्रिक पोल की सिफ्टिंग, ट्री कटिंग, ओ0एफ0सी0 केबल, वाटर पाईप लाईन इत्यादि) हेतु राज्यांश के सापेक्ष शासन से समय–समय पर वांछित स्वीकृति प्राप्त किये जाने तथा कार्य कराये जाने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

साधारण सभा द्वारा यूटिलिटी सिफ्टिंग (यथा–इलेक्ट्रिक लाईन्स एवं इलेक्ट्रिक पोल की सिफ्टिंग, ट्री कटिंग, ओ0एफ0सी0 केबल, वाटर पाईप लाईन इत्यादि) हेतु राज्यांश के सापेक्ष शासन से समय–समय पर वांछित स्वीकृति प्रदान किये जाने पर सहमति एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण)

एजेण्डा बिन्दु संख्या–07

लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पी0आई0यू0 के गठन का अनुमोदन

साधारण सभा को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के 75 जनपदों के अन्तर्गत 42 जनपदों में लोक निर्माण विभाग के पी0आई0यू0 तथा 33 जनपदों में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पी0आई0यू0 कार्यरत थे। ग्राम्य विकास विभाग के आदेश संख्या–पी–34/अड़तीस–9–2021–27(एल0सी0)/2017 दिनांक–20.01.2021 द्वारा जनपद गोरखपुर एवं जनपद प्रतापगढ़ में तथा ग्राम्य विकास विभाग के आदेश सं0 पी–331/अड़तीस–9–2022 दिनांक–30.09.2022 एवं लोक निर्माण विभाग के आदेश सं0–953/23–9–2022–14पीएम/2014टी0सी0 दिनांक–13.09.2022 द्वारा जनपद–कन्नौज, कानपुर देहात, मैनपुरी, गौतमबुद्धनगर एवं मिर्जापुर में लोक निर्माण विभाग की स्थापित पी0आई0यू0 के स्थान पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की पी0आई0यू0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश के 35 जनपदों में लोक निर्माण विभाग की पी0आई0यू0 तथा 40 जनपदों में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की पी0आई0यू0 कार्यरत हैं। ग्राम्य विकास विभाग पत्र सं0 पी–49/अड़तीस–9–2022–01 (पीएमजीएसवाई)/2021टी0सी0–1 दिनांक–28.03.2022 एवं पत्र सं0–पी–96/अड़तीस–9–2021–22 (एल0सी0)/2017 दिनांक–16.02.2021 द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में एफ0डी0आर0 कार्यो के क्रियान्वयन के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की पी0आई0यू0 अधिकृत किया गया है, जिस पर साधारण सभा से अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

साधारण सभा द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा साधारण सभा को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कार्यरत दोनों कार्यदायी विभागों–लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के जनपदीय पी0आई0यूज पर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का प्रशासनिक नियंत्रण न होने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लापरवाही बरतने वाले पी0आई0यूज0 पर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण स्तर पर कार्यवाही नहीं हो पाती है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में 75 जनपदों में दो कार्यदायी विभाग के स्थान पर 75 जनपदों में 01 कार्यदायी को नामित किये जाने तथा उस पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर साधारण सभा द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की कार्यक्षमता के आधार पर आंकलन करते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण/ग्राम्य विकास विभाग)

एजेण्डा बिन्दु संख्या–08

एफ0डी0आर0 कार्यो के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से लोक निर्माण विभाग को 25 मार्गो के हस्तान्तरण का अनुमोदन

साधारण सभा को अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक–16.08.2022 में एफ0डी0आर0 तकनीक से ग्रामीण सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार ग्राम्य विकास विभाग षासन के आदेश सं0–पी–69/अड़तीस–9–2023–38–9099(99)/32/2022 दिनांक–03.03.2023 एवं लोक निर्माण विभाग के आदेश सं0–1654/23–9–2022–12पीएम/2015 दिनांक 13.01.2023 की एफ0डी0आर0 तकनीक द्वारा निर्माण हेतु प्रस्तावित 25 मार्गो (हरदोई जिले के 01 मार्ग को भारत सरकार द्वारा निरस्त किया गया है) को जनपद प्रयागराज, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हाथरस, कानपुर नगर एवं हरदोई में स्थित ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पी0आई0यू0 द्वारा लोक निर्माण विभाग की पी0आई0यू0 को स्थानान्तरित किया गया है। इन मार्गो का निर्माण सम्बन्धित जनपदों के लोक निर्माण विभाग के पी0आई0यू0 द्वारा सम्पादित कराया जाना है।

उपरोक्तानुसार 25 मार्गो के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किये जाने सम्बन्धी निर्णय के अनुमोदन हेतु साधारण सभा के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

साधारण सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं उक्त 25 मार्गो को लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण किये जाने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग)

एजेण्डा बिन्दु संख्या–09

इम्पैनल्ड स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स एवं मेसर्स Consortium of Translink Infrastructure Consultants (P) Ltd. Ahmadabad & Trans Asian Techno Pvt. Ltd. & MK Soil Testing Laboratory Pvt. Ltd. (पी0एम0यू0–प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट) का अनुमोदन।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन/अनुरक्षणाधीन कार्यो की गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऑपरेशन मैनुअल में निहित व्यवस्था के अनुसार त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली प्रभावी है जिसमें प्रथम टीयर में सम्बन्धित पी0आई0यू0/अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता तथा द्वितीय टीयर में स्टेट क्वालिटी मॉनिटर/यूपीआरआरडीए द्वारा अनुबन्धित थर्ड पार्टी सर्विसेज/यूपीआरआरडीए तकनीकी स्टाफ एवं तृतीय टीयर में नेशनल क्वालिटी मॉनिटर के द्वारा निरीक्षण करते हुये

गुणवत्ता नियंत्रण किया जाता है। विशेष अभियान चलाकर योजनान्तर्गत निर्माणाधीन/अनुरक्षणाधीन कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित पी0आई0यू0 के अधीक्षण अभियन्ताओं (ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के 16 वृत्त एवं लोक निर्माण विभाग के 08 वृत्त) द्वारा निरीक्षण करते हुये गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश अभिकरण द्वारा निर्गत किये गये हैं। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किये गये निरीक्षण की निरीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। वर्तमान में द्वितीय टीयर में निरीक्षण हेतु 134 स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स इम्पैनल्ड हैं, जिनके द्वारा निरीक्षण करते हुये कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जा रही है।

एफ0डी0आर0 तकनीक के अन्तर्गत डी0पी0आर0 प्रेपरेशन एवं निर्माणाधीन कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने तथा एक्जिक्यूशन में तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु अभिकरण के अनुबन्ध सं0–04/3339/T-252/UPRRDA dated 07.04.2021 }kjk Consortium of Translink Infrastructure Consultants (P) Ltd. Ahmadabad & Trans Asian Techno Pvt. Ltd. & MK Soil Testing Laboratory Pvt. Ltd. को पी0एम0यू0–प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के रूप में अनुबन्धित किया गया है।

उपरोक्तानुसार इम्पैनल्ड स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स एवं मेसर्स Consortium of Translink Infrastructure Consultants (P) Ltd. Ahmadabad & Trans Asian Techno Pvt. Ltd. & MK Soil Testing Laboratory Pvt. Ltd. (पी0एम0यू0–प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट) का साधारण सभा से अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्तानुसार, साधारण सभा द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–10

सिंगल नोडल एकाउन्ट (एस0एन0ए0) का अनुमोदन

साधारण सभा को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रोग्राम मद, प्रशासनिक मद एवं अनुरक्षण मद हेतु पृथक–पृथक बैंक खाता संचालित थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0 पी–17025/7/2018–आरसी0 दिनांक–11.10.2021 एवं पत्र सं0 1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक–23.03.2021 के अनुपालन में प्रोग्राम मद, प्रशासनिक मद एवं भारत सरकार से प्राप्त इन्सेन्टिव धनराशि हेतु भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन, लखनऊ में पूर्व से चल रहे खाता सं0 10616665805 को सिंगल नोडल एकाउन्ट (एस0एन0ए0) के रूप में अधिकृत करते हुये संचालित किया जा रहा है। अनुरक्षण मद हेतु राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन, लखनऊ में पूर्व से चल रहे खाता सं0 10616665792 के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार सिंगल नोडल एकाउन्ट (एस0एन0ए0) पर साधारण सभा के समक्ष अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर साधारण सभा द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–11

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1. सभापति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित मार्गो के शिलान्यास एवं लोकार्पण के शिलापट्ट पर मा0 सांसद के साथ मा0 विधायक का नाम अंकित किये जायें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत है। अतः मा0 सांसद के साथ मा0 विधायक का नाम शिलान्यास एवं लोकार्पण के शिलापट्ट पर अंकित किये के प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को शासन स्तर से प्रेषित किया जाये।

   (कार्यवाही–उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण/ग्राम्य विकास विभाग)

2. सभापति द्वारा साधारण सभा की बैठक पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये साधारण सभा की बैठक में वर्ष में 02 बार आहूत किये जाने के निर्देश दिये गये। साधारण सभा की बैठक में सम्बन्धित विभागों की सहभागिता एवं बहुआयामी सदस्यों के प्रतिभाग करने से बैठक में औचित्यपूर्ण निर्णय लिये जाने में सुगमता रहती है।

   (कार्यवाही–उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण/ग्राम्य विकास विभाग)

3. सभापति द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एफ0डी0आर0 तकनीक से मार्गो का निर्माण किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा यह बताया गया कि एफ0डी0आर0 तकनीक से बने मार्ग की लागत कम होने के साथ–साथ गुणवत्ता भी कन्वेंशनल पद्धति से बने मार्गो से अच्छी है। इस क्रम में यह निर्देश दिये गये कि देश/विदेश में एफ0डी0आर0 की तरह अन्य तकनीक पर भी विचार किया जाये एवं उनको परख कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लागू किया जाये।

   (कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण)

4. मा0 राज्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद–देवरिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देवरिया में 07 मार्ग स्वीकृत स्वीकृत हैं, जो अभी तक निर्मित नहीं हुये हैं। पिपरा लार से डूमरी मार्ग का जिक्र करते हुये अवगत कराया गया कि इस मार्ग पर बहुत बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं, जिससे दुर्घटनायें भी हो रही हैं। सभापति द्वारा यथाशीघ्र निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुये मार्गो पर कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये।

   (कार्यवाही–ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग)

5. सभापतिं द्वारा मा0 जनप्रतिनिधियों यथा मा0 सांसद, मा0 विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित की गयी सड़कों को भारत सरकार द्वारा निर्मित ओमास के कोर नेटवर्क में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार को शासन स्तर से पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 से ज्यादा बसावटों के मार्गो का चयन किया जाता है जो 2011 की जनगणना पर आधारित है। इस तथ्य का भी संज्ञान लिया जाये क्योंकि वर्तमान में गांव की जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हो चुकी है। इस आशय का पत्राचार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से करके इसमें शिथिलिता प्राप्त करने का प्रयास किया जाये।

(कार्यवाही–उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण/ग्राम्य विकास विभाग)

6. सभापति द्वारा अपेक्षा की गयी कि जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जानी चाहिये तथा विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से जनप्रतिनिधि को अवगत कराया जाना चाहिए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद–सीतापुर में मार्गो की जांच किये जाने हेतु शिकायत प्राप्त हुयी थी, जिसके सम्बन्ध में दिनांक–18.03.2023 को यूपीआरआरडीए द्वारा अधिशासी अभियन्ता तथा स्टेट क्वालिटी मॉनिटर की समिति गठित की गयी है जो 15 दिन के अन्दर जांच कर रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगी।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण)

7. सभापति द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों की ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रियता एवं प्रबल मांग है। ऐसी समस्त बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ना अत्यावश्यक है, जिनकी वर्तमान में आबादी 500 से अधिक है। इस अपरिहार्यता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोक सभा क्षेत्रों में 200 किमी0 सड़क प्रति लोक सभा के हिसाब से कम से कम 16000 किमी0 अतिरिक्त सड़क निर्माण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को आवंटित किये जाने हेतु सभापति के स्तर से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से प्रस्ताव भेजा जाये।

(कार्यवाही–उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण/ग्राम्य विकास विभाग)

8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 तकनीक के तहत् हो रहे कार्यो की जे0एम0एफ0 डिजाईन कराने में लगभग 2–3 माह एवं ट्रायल स्ट्रेच के टेस्टिंग इत्यादि में लगभग 2 माह समय लगता है, जो कि ज्यादा है। अतः विशेषज्ञ संस्थाओं यथा–आई0आई0टी0/सी0आर0आर0आई0/एन0आई0टी0/स्टेट टेक्निकल एजेन्सी को पत्र भेजा जाये तथा यह अनुरोध किया जाये कि किस प्रकार से एफ0डी0आर0 तकनीक के तहत् हो रहे कार्यो की डिजाईन एवं टेस्टिंग इत्यादि में

लगने वाले लगभग 05 माह को कैसे कम किया जा सकता है। इस बिन्दु पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है तथा डिजाईन एवं टेस्टिंग मे लगने वाले समय का उपयोग करते हुये क्रॉस ड्रेनेज वर्क (पुलिया एवं कलवर्ट) का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाये।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण/स्टेट टेक्निकल एजेन्सी)

9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आबादी क्षेत्र में बनाये जा रहे डीप ड्रेन में मलबा तथा कूड़ा भर जाता है, जिसकी सफाई भी नहीं होती है तथा साथ ही साथ दुर्घटना भी होती हैं। अतः कार्यदायी संस्थाओं द्वारा यथासम्भव यह सुनिश्चित किया जाये के0सी0 ड्रेन का निर्माण किया जाये, जिससे दुर्घटनायें भी न हो तथा सफाई भी बनी रहे।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग)

10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि दोनों कार्यदायी विभागों–लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के जनपदीय पीआईयू के स्तर पर कराये गये कार्यो के सापेक्ष ठेकेदारों के अत्यधिक बिल लम्बित हैं जिससे बजट के सापेक्ष व्यय भी कम हो पाया है। सभापति द्वारा दोनों कार्यदायी विभागों–लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर पर इसकी स्वयं मॉनिटरिंग माह में कम से कम एक बार नियमित रूप से करें तथा ठेकेदारों के बिल उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार पी0आई0यू0 द्वारा मासिक बिल उपलब्ध करायें जायें, जिससे भुगतान की कार्यवाही समय से सम्पन्न की जा सके, जिस माह शून्य बिल होता है उस माह में शून्य बिल प्रस्तुत किये जायें। पी0आई0यू0 द्वारा मासिक बिल उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में सम्बन्धित पी0आई0यू0 के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के विरूद्ध लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। ठेकेदारों के बिल पी0आई0यू0 द्वारा प्रतिमाह उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण)

अंत में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–9
संख्याः–P-170/अड़तीस–9–23–33(पीएमजीएसवाई)/2013
लखनऊः दिनांक 15-05,2023

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1)– सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2)– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3)– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
(5)– प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(6)– निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7)– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
(8)– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
(9)– निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(10)– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11)– बैठक में उपस्थित समस्त सदस्य/अधिकारीगण (संलग्नक–1 के अनुसार)।
(12)– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार वत्स)
उप सचिव।

<u>मा0 उप मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की साधारण सभा की 10वीं बैठक दिनांक–21.03.2023 में सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थित।</u>

1. श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम, मा0 राज्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. श्री हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री भानु चन्द्र गोस्वामी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
4. श्री प्रभुनाथ, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री आर0के0 चौधरी, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
6. श्री एम0के0 भट्ट, वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7. श्री बृजेश कुमार दुबे, राज्य गुणवत्ता समन्वयक/उप मुख्य कार्यपालक अधिकरी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
8. श्री डी0डी0 पाठक, राज्य तकनीकी अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
9. श्री बृजेन्द्र कुमार गुप्ता, निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10. श्री वीरपाल राजपूत, मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
11. श्री वीरेन्द्र कुमार, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12. श्री राम प्रसाद राम, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग (मुख्यालय), लखनऊ।
13. श्री वी0के0 श्रीवास्तव, इंजीनियर इन चीफ, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
14. डॉ0 जयन्त चौधरी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एम0एन0एन0आई0टी0, प्रयागराज।
15. डॉ0 शालिनी शुक्ला, कोआर्डिनेटर–स्टेट टेक्निकल एजेन्सी, एम0एन0एन0आई0टी0, प्रयागराज।
16. डॉ0 ए0के0 मिश्रा, स्टेट टेक्निकल एजेन्सी, एम0एम0एन0आई0टी0, गोरखपुर।
17. श्री मायाराम गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
18. मो0 मुर्तजा, आई0टी0 कोआर्डिनेटर, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
19. श्री अवनि प्रकाश, जी0आई0एस0 कन्सल्टेन्ट, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
20. श्री अभिषेक मिश्रा, जी0एन0ओ0, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
21. श्री रोहित मिश्रा, कन्सल्टेन्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।